



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

संख्या 109/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 83/एसटी-2, दिनांक 22 सितंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 83/एसटी-2, दिनांक 22 सितंबर, 2017 में, सारणी में,—

(i) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 9 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा इसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद), हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ	जिसके अंतर्गत 50, 58, 61, 62, 63 भी हैं;"
----	---	---

(ii) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 28 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल, नामदा, गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 109/ST-2.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification number 83/ST-2, dated the 22nd September, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification number 83/ST-2, dated the 22nd September, 2017, in the Table, –

(i) for serial number 9 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63”;
----	--	--------------------------------

(ii) after serial number 28 and the entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:-

“29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.